

मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल


:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 1/08/2022

क्रमांक 1257/493/2022/38/1 :: विभागीय आदेश क्रमांक दिनांक 671/493/2022/38/1, दिनांक 11.04.2022 को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. सुनीता सोमानी, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के नियम-42 के उपनियम (1) खण्ड (ए) के अधीन उनके स्वयं के आवेदन पर दिनांक 31.07.2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(वीरन सिंह भिलावी)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन


उच्च शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 1/08/2022

पृ.क्रमांक 1258/493/2022/38/1 ::

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार, म.प्र., ग्वालियर,
 2. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुडा भवन, भोपाल,
 3. जिला कोषालय अधिकारी, ग्वालियर,
 4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर,
 5. प्राचार्य, डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर,
 6. संबंधित डॉ. सुनीता सोमानी, प्राध्यापक, अर्थशास्त्र, डॉ. भगवत सहाय शासकीय महाविद्यालय, ग्वालियर
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

उच्च शिक्षा विभाग